अनिवार्य / समय-सीमा / प्राथमिकता

अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, रीवा (म.प्र.)

क्रमांक / विकास / 2026 / 149 रीवा दिनांक : 26-03-2026

प्रति,

अध्यक्ष / प्राचार्य
श्याम आदर्श शिक्षा महाविद्यालय,
पुरैना, रीवा (म.प्र.)

विषय – अस्थायी सम्बद्धता नवीनीकरण सत्र 2025–2026 विषयक।

सन्दर्भ – विश्वविद्यालय की अधिसूचना क्रमांक / विकास / 2026 / 111 दिनांक 21-03-2026

संदर्भांकित अधिसूचना के परिपालन में विद्या परिषद की स्थाई समिति की बैठक दिनांक 22-01-2026 के पद क्रमांक 02 की अनुशंसा अनुसार महाविद्यालयों द्वारा पूर्व सत्र में लगायी गई शर्तों की पूर्ति की गई है अथवा नहीं से संबंधित तथ्यों की संवीक्षा हेतु माननीय कुलगुरु जी द्वारा बनायी गई समीक्षा समिति से प्राप्त निरीक्षण प्रतिवेदन अनुसार तथा परिनियम 27 के प्रावधानानुसार, आपके महाविद्यालय को सत्र 2025–2026 की अधोलिखित कक्षा / विषयों में अस्थायी सम्बद्धता का नवीनीकरण अग्रांकित विशेष शर्तों की पूर्ति इस पत्र के जारी होने के दिनांक से एक माह की समयावधि अथवा दिनांक 28.04.2026 तक इनमें से जो भी पहले हो की प्रत्याशा में मान्य किया जायेगा। इसकी अन्यथा स्थिति में आपके महाविद्यालय की आगामी सत्र 2026–2027 की सम्बद्धता का नवीनीकरण सम्भव न हो पाने से उक्त सत्र की ई-प्रवेश पोर्टल की प्रक्रिया में आपके महाविद्यालय का नाम शामिल नहीं हो सकेगा –

क्र.	कक्षा / विषय
1	बी.एड. दो वर्षीय पाठ्यक्रम प्रथम वर्ष–100सीट।
2	बी.ए.बी.एड. चार वर्षीय पाठ्यक्रम प्रथम वर्ष–100सीट।

पूर्ति किये जाने वाली विशेष शर्तें –

1. पुस्तकालय को समुन्नत करें।
2. प्रयोगशाला एवं आईसीटी लैब को समुन्नत करें।

उपर्युक्त शर्तों की पूर्ति कर महाविद्यालय पालन प्रतिवेदन 30 दिवस के अन्दर अर्थात् दिनांक 28-04-2026 तक अनिवार्य रूप से पूर्ण कर तदाशय का अभिकथन 100=00 रुपये के स्टाम्प पर शपथपूर्वक अंकित किया जाकर अधोहस्ताक्षरकर्ता को भेजा जाय इसकी अन्यथा स्थिति में आपके महाविद्यालय का आगामी सत्र 2026–2027 से महाविद्यालय को आगामी सत्र 2026–2027 से ई-प्रवेश प्रक्रिया से पृथक कर दिया जायेगा तथा महाविद्यालय की सम्बद्धता समाप्त किये जाने की सूचना आयुक्त, उच्च शिक्षा, म.प्र. शासन, भोपाल को भेज दी जायेगी जायेगी, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व स्वयं महाविद्यालय का होगा।

आदेशानुसार,

कुलसचिव

प्रतिलिपि सूचनार्थ –

1. अधिष्ठाता, महाविद्यालयीन विकास परिषद्।
2. अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा, रीवा संभाग, रीवा।
3. विभागाध्यक्ष, डिपार्टमेंट आफ कम्प्यूटर एप्लीकेशन, अ.प्र. सिंह विश्वविद्यालय, रीवा की ओर वेबसाइट में प्रदर्शन हेतु प्रेषित।
4. सहायक कुलसचिव–परीक्षा, गोपनीय।
5. प्रभारी, एम.पी. आनलाइन, अ.प्र. सिंह विश्वविद्यालय, रीवा।
6. कुलगुरु जी के सचिव / कुलसचिव के निज सहायक।

सहायक कुलसचिव (विकास)